भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 31 /2024–25
दिनांकः 28 सितम्बर, 2024

विषयः आइटीसी (एचएस) कोड 10063090 के तहत गैर–बासमती सफेद चावल की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 10 के आइटीसी (एचएस) कोड 10063090 के तहत गैर–बासमती सफेद चावल की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती हैः–

आइटीसी एचएस कोड	मद विवरण	मौजूदा निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
1006 30 90	गैर–बासमती सफेद चावल (आधा पीसा हुआ या पूरी तरह से पीसा हुआ चावल, चाहे पॉलिश या ग्लेज किया हो या नहीः अन्य)	निषिद्ध	मुक्त	**निर्यात** न्यूनतम निर्यात मूल्य 490 अमरिकी डॉलर/टन के अधीन है।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

अधिसूचना का प्रभावः

आईटीसी **(एचएस) कोड 10063090** के तहत गैर–बासमती सफेद चावल (आधा पीसा हुआ या पूरी तरह से पीसा हुआ चावल, चाहे पॉलिश या ग्लेज किया हो या नहीः अन्य) की निर्यात नीति को 490 अमेरिकी डॉलर/टन न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन तत्काल प्रभाव से या अगले आदेशों तक 'निषिद्ध' से 'मुक्त' कर संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
28.09.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/010/एएम23/ईसी/ई–33294 से जारी)